फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर

जिला हनुमानगढ

राजेन्द्र बनाम **भागवन्ती**

किस्म मुकदमा , ,88 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 631 सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख
13.07.2022	वादी की और से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.07.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26/7/22	~~वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 to 5 की ओर से श्री [illegible] शर्मा अधि. उपस्थित वकालतनामा पेश, पर वादी के वाद को स्वीकार कर इकबाल (?) जवाब पेश किया [illegible] व जवाब व साक्ष्य वादी में शपथपत्र पेश किया [illegible] पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 1/8/22 को पेश हो~~ (हस्ताक्षर)	
1/8/22	~~अनुपस्थित [illegible] उपस्थित बहस सुनी जाई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 5/8/22 को पेश हो~~ (हस्ताक्षर)	
5/8/22	~~अनुपस्थित [illegible] उपस्थित [illegible] वादी आज्ञप्ति प्रमाणित [illegible] बहस के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता [illegible] निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया पत्रावली दाखिल दफ्तर हो~~ (हस्ताक्षर)	

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 631 सन 2022

अनवान :–

1. राजेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भागवन्ती पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. अनिता पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. सुनिता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
4. नीलम पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
5. दयावन्ती पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 05/08/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 8/5 की कुल 4.4900हैक में से 1/2 हिस्सा , व रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 4/4 की कुल 2.3780हैक में से 1/2 हिस्सा ,रोही मौजा चक 20 आरडब्लयूडी ए के खाता संख्या 8/10 की कुल 0.2410हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता ओमप्रकाश पुत्र जोराराम का देहान्त हो चुका है ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की ओमप्रकाश पुत्र जोराराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता ओमप्रकाश पुत्र जोराराम का देहान्त

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

हो चुका है ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 8/5 की कुल 4.4900हैक में से 1/2 हिस्सा , व रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 4/4 की कुल 2.3780हैक में से 1/2 हिस्सा ,रोही मौजा चक 20 आरडब्लयूडी ए के खाता संख्या 8/10 की कुल 0.2410हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता ओमप्रकाश पुत्र जोराराम का देहान्त हो चुका है ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 8/5 की कुल 4.4900हैक में से 1/2 हिस्सा , व रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 4/4 की कुल 2.3780हैक में से 1/2 हिस्सा ,रोही मौजा चक 20 आरडब्लयूडी ए के खाता संख्या 8/10 की कुल 0.2410हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता ओमप्रकाश पुत्र जोराराम का देहान्त

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

हो चुका है ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 8/5 की कुल 4.4900हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है, व रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 4/4 की कुल 2.3780हैक में से 1/2 हिस्सा ,रोही मौजा चक 20 आरडब्लयूडी ए के खाता संख्या 8/10 की कुल 0.2410हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक ओमप्रकाश पुत्र जोराराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner